UPKS060006912022

न्यायालय सिविल जज(क० श्रे०) त्वरित न्यायालय-II , कौशाम्बी

उपस्थित- शिवेन्द्र शर्मा (उ०प्र० न्यायिक सेवा)

मूल वाद संख्या- 854/2002

01. बाबूलाल शुक्ल उम्र करीब 60 वर्ष (मृतक) }

01/1 आशा उम्र करीब 32 वर्ष पत्नी बबलू निवासी टेंवा, परगना अथर्वन जिला कौशाम्बी।

02. विजय बहादुर शुक्ल उम्र करीब 55 वर्ष, }

03. नकुल प्रसाद शुक्ल उम्र करीब 53 वर्ष, }

04. विश्वनाथ प्रसाद उम्र करीब 45 वर्ष, } पुत्रगण हीरालाल

05. रामधीरज शुक्ल उम्र करीब 30 वर्ष, }

06. राजबहादुर शुक्ल उम्र करीब 25 वर्ष (मृतक) }

निवासीगण ग्राम सैयद सरॉवा, परगना व तहसील चायल, जिला कौशाम्बी। हालमुकाम भदवां, पोस्ट बालकमऊ, परगना तहसील सिराथू, जिला कौशाम्बी।

... ... वादीगण

बनाम

01. रामभवन }

02.. इन्द्रभवन }

03.कल्लू } पुत्रगण रामसुन्दर,

04. वी.पी. सिंह, }

05. सी.पी. सिंह }

06. राजबहादुर, } पुत्रगण कंधईलाल

07. विजय बहादुर }

08. प्रेमचन्द्र पुत्र रामखेलावन

09. रामसुरेमन }

10. रामचन्द्र } पुत्रगण शारदा प्रसाद

निवासीगण ग्राम ओदारपुर, परगना व तहसील चायल, जिला कौशाम्बी।

... ...प्रतिवादीगण

–:निर्णय:–

01. प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध बैनामा निरस्तीकरण व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु योजित किया गया है।

02. संक्षेप में वाद कथानक इस प्रकार है कि वादीगण के पिता स्व० हीरालाल पुत्र सुखदेव प्रसाद आराजी संख्या 1162 रकबा 0.481 हे0 के भूमिधर स्वामी, काबिज व दखील थे। उनके मृत्यु के पश्चात वादीगण उक्त आराजी पर काबिज व दखील हुए। प्रतिवादीगण व उनके पूर्वज बहुत ही चालाक जाल फरेबी व मुकदमेबाज किस्म के व्यक्ति हैं। प्रतिवादीगण या उनके पिता से उक्त आराजी संख्या 1162 से कभी कोई वास्ता व सरोकार या कब्जा दखल नहीं था और न आज ही है। चकबन्दी के पूर्व आराजी संख्या 1162 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा 3 धूर का पुराना नम्बर आराजी संख्या–2201 रकबा 15 धूर आराजी संख्या 2203 रकबा 12 बिस्वा आराजी संख्या 2204 रकबा 12 बिरवा 11 धूर आराजी संख्या 2205 रकबा 13 बिस्वा 15 धूर आराजी संख्या 2216 रकबा 3 बिस्वा अर्थात उक्त पुरानी आराजियात नम्बर व रकबा से चकबन्दी के समय नया नम्बर 1162 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा 3 धूर का चक वादीगण के पिता हीरालाल के नाम एलाट किया गया वादीगण के पिता हीरालाल प्रतिवादीगण के या उनके पूर्वजों के हक में कभी भी उक्त आराजी संख्या 1162 या उसके पुराने नम्बर का विक्रय करके बैनामा नहीं किया और न ही वादीगण के पिता हीरालाल प्रतिवादीगण के पूर्वजों या प्रतिवादीगण से कथित बैनामा के सम्बन्ध में कोई प्रतिफल ही प्राप्त किया। वादीगण का नाम खतौनी में आराजी संख्या 1162 में अप्रैल 2000 तक दर्ज रहा और आज भी दर्ज है परन्तु वादीगण मई 2000 में आराजी संख्या 1162 के खतौनी की नकल लिया तब उन्हें जानकारी हुई कि आराजी संख्या 1162 में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज हो गया और यह नाम वादीगण के पिता स्व० हीरालाल के नाम पर विक्रय पत्र के द्वारा दर्ज किया गया। वादीगण को जानकारी हुई कि प्रतिवादीगण के पूर्वज रामसुन्दर श्रीमती चन्द्रकली. प्रेमचन्द्र व रामसुरेमन व रामचन्द्र दिनांक 11.03.1976 को वादीगण के पिता स्व० हीरालाल के नाम से किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा करके उक्त आराजी को फर्जी तरीके से बैनामा करा लिया। प्रतिवादीगण के पूर्वजों का कथित बैनामा दिनांकित 11.03.1976 चकबन्दी समय में होना बताया जाता है जबकि वास्तव में चकबन्दी कार्यक्रम वर्ष 1965 में पूर्ण हो गया था। इस कारण कथित बैनामा दिनांकित 11.03.1976 अपने आप में फर्जी प्रतीत होता है। विक्रय विलेख में वर्णित विकय अनुमति भी बिल्कुल फर्जी ढंग से प्राप्त करके फर्जी विक्रय विलेख सम्पादित कराया गया। प्रतिवादीगण के पूर्वज के हक में यदि वादीगण के पिता स्व० हीरालाल वास्तव में दिनांक 11.03.1976 को बैनामा किये होते तो प्रतिवादीगण के पूर्वज अपने जीवनकाल में ही नामान्तरण आदेश भी धारा–34 एल०आर०एक्ट के अन्तर्गत करा लिये होते, परन्तु कथित बैनामा वादीगण के पिता स्व० हीरालाल द्वारा नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण बिना नोटिस दिये हुए बिना वादीगण के जानकारी के उक्त आराजी व कथित फर्जी बैनामा के आधार पर दिनांक 17.05.2000 जो नामान्तरण आदेश नायब तहसीलदार द्वारा पारित किया गया था वह निरस्त कर दिया गया तथा वर्तमान समय में वादीगण का नाम दर्ज खतौनी है।

प्रतिवादीगण अपने मेली मददगारों के साथ दिनांक 26.03.2002 को वादीगण के उक्त आराजी पर चढ़ आये और धमकी देने लगे कि वह जबरन आराजी संख्या 1162 पर कब्जा कर लेंगे।

03. वादीगण द्वारा याचना की गई कि बैनामा दिनांकित–11.03.1976 को निरस्त कर इसकी सूचना उपनिबन्धक कार्यालय चालय को भेजी जाए व जरिए डिक्री प्रतिवादीगण व उनके मेली मददगार वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जा दखल व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे और न ही जबरन कब्जा करें और न ही मौके की नवैयत बदलें।

04. प्रतिवादीगण द्वारा लिखित कथन संख्या 33क दाखिल कर वादीगण के वादपत्र के कथनों का खण्डन करते हुए अतिरिक्त कथन किया गया कि हीरालाल पुत्र सुखदेव प्रसाद ने विवादित भूमि पर बैनामा अपनी राजी खुशी से रामसुन्दर पुत्र राम औतार व श्रीमती चन्द्रकली पत्नी कन्धई लाल व प्रेमचन्द्र पुत्र रामखेलावन, रोशनलाल व रामसरेमन व रामचन्द्र पुत्रगण शारदा प्रसाद निवासीगण ओदारपुर के हक में एक माकूल व बाजारू कीमत प्राप्त करके दिनांक 5 मार्च 1976 को तहरीर करके तकमील कर दिया। जब तक रामसुन्दर व चन्द्रकली जीवित रहे तब तक उनका कब्जा खरीदारान के साथ रहा तथा चन्द्रकली व रामसुन्दर की मृत्यु के बाद उनके पुत्रगण बतौर वारिसान तथा अन्य खरीदारान आज तक लगातार काबिज दखील है। बैनामें के बाद से विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जा दखल नहीं रहा और न है। वादीगण ग्राम सैय्यद सरांवा के वशिन्दा नहीं है और उनका कोई भी मकान ग्राम सैय्यद सरांवा में न कभी रहा और न है । प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर काबिज दखील चहे आ रहे है इसलिए उनका विश्वास था कि दाखिल खारिज हो गया होगा लेकिन 2000 में पता चला कि नामदर्ज नहीं है तब प्रतिवादीगण ने दाखिल खारिज की कार्यवाही किया लेकिन इस बात की जानकारी प्रतिवादीगण को नहीं थी कि वादीगण के दरखास्त पर उनका नाम कागजात से कट गया है। हीरालाल विवादित भूमि को बेचने के लिए अन्तर्गत धारा 5(2) सी० उत्तर प्रदेश जोत चकन्दी अधिनियम के अन्तर्गत बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी चायल, इलाहाबाद से विक्रय की अनुमति मुकदमा संख्या 4994 दिनांक 25.02.1976 को प्राप्त किया तथा विक्रय की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात हीरालाल के पिता वादीगण ने विवादित भूमि का बैनामा रामसुन्दर आदि के हक में दिनांक 05 मार्च 1976 को पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करके पंजीकृत बैनामा किया था हीरालाल पुत्र सुखदेव द्वारा किये गये बैनामा की पूरी जानकारी वादीगण को शुरू से रही है यदि हीरालाल ने बैनामा न किया होता तो वह बैनामा मंसूखी की कार्यवाही अवश्य करते । मौजा सैय्यद सरांवा में 1978 तक चकबन्दी प्रक्रिया चालू रही 1976 जबकि बैनाम निष्पादित हुआ तब भी चकबन्दी उक्त गांव में हो रही थी तथा 52 चकबन्दी अधिनियम का प्रकाशन नहीं हुआ था। निष्पादन विक्रय विलेख हीरालाल पुत्र सुखदेव के नाम जोत चकबन्दी आकार पत्र 23 भाग–1 में दर्ज रही यदि उसमें कोई तरमीम होती हैं तो उससे बैनामा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता चूंकि दौरान चकबन्दी दाखिल खारिज नहीं हो सका ऐसी सूरत में हीरालाल पुत्र सुखदेव का नाम विवादित भूमि पर दर्ज रहना स्वाभाविक था। इस इन्द्रराज से वादीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा क्योंकि विक्रय

विलेख निष्पादन के पश्चात हीरालाल का स्वत्व व अधिकार समाप्त हो गया था। अतः दावा वादीगण निरस्त होने योग्य है।

05. न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर दिनांक –20.07.2010 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये:–

1. क्या वादीगण आराजी संख्या 1162 के रकबा 0.481 हे0 के पूर्वजों के समय से मालिक व काबिज दखील चले आ रहे है?

2. क्या वादीगण के पिता प्रतिवादीगण के हक में दिनांक 05.03.1976 को जो बैनामा बताया है वह फर्जी व धोखे से किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है?

3. क्या वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम अदा किया गया तथा अदा किया गया न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

4. क्या दावा वादी काल बाधित है?

5. क्या दावा वादीगण धारा–34 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है?

6. क्या दावा वादी धारा–35 क सी.पी.सी. के मय विशिष्ठ हर्जे खारिज किये जाने योग्य है?

7. अनुतोष ?

06. वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची 8ग के माध्यम से एक किता खतौनी फोटोप्रति 9ग, एक किता फोटो प्रति नकल खतौनी 10ग, नकल खतौनी छायाप्रति 11ग छायाप्रति प्रमाणित प्रति बैनामा12ग व सूची 36ग से प्रमाणित प्रति बैनामा कागज संख्या 36ग/3 लगायत 36ग/5 सूची 90ग से नकल खतौनी, नकल खसरा, नकल आकार पत्र 45 की मूल प्रति दाखिल किया गया है एवं मौखिक साक्ष्य के रूप में पी०डब्लू०–1 विश्वनाथ का साक्ष्य शपथपत्र 16क, पी0 डब्लू– 2 पन्नालाल का साक्ष्य शपथपत्र 65ग, पी० डब्ल्यू–3 नादिर प्रसाद का साक्ष्य शपथपत्र 66ग दाखिल किया गया तथा उपरोक्त साक्षीगण से प्रतिपरीक्षा प्रतिवादीगण द्वारा की गयी है।

07. प्रतिवादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची 72ग से चिक एफ.आई.आर. की फोटो प्रति कागज संख्या 73ग, नकल आदेश वाद संख्या 49/ 2016 कागज संख्या 74ग दाखिल किया गया एवं मौखिक साक्ष्य के रूप में डी०डब्लू०–1 प्रेमचन्द्र का साक्ष्य शपथपत्र 79क, डी0 डब्ल्यू–2 रामभवन का साक्ष्य शपथपत्र 82क व डी०डब्लू०–3 का साक्ष्य शपथ पत्र 84क दाखिल किया गया तथा उपरोक्त साक्षीगण से वादीगण द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी है।

08. वादीगण का संशोधन प्रार्थना पत्र संख्या–98क दिनांक–02.08.2022 को न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र में बैनामा की तिथि का संशोधन किया गया। किन्तु साक्ष्य व लिखित कथन में बैनामा की तिथि को सही नही किया गया है किन्तु दोनो पक्षों द्वारा इस बिन्दु पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष द्वारा बैनामा दिनांकित–11.3.1976 के संबन्ध उभय पक्षों द्वारा अभिकथन किया गया है।

09. पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया एवं उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

:– निष्कर्ष–:

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 02–

10. वाद बिन्दु संख्या–02 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या वादीगण के पिता प्रतिवादीगण के हक में दिनांक 11.03.1976 को जो बैनामा बताया है वह फर्जी व धोखे से किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है?**

11. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार वादीगण पर है।

12. उपरोक्त वाद बिन्दु के संबन्ध में वादीगण द्वारा वाद पत्र में यह अभिकथन किया गया है कि वादीगण के पिता स्व० हीरालाल आराजी संख्या–1162 रकबा 0.481 के मालिक काबिज व दखील थे। चकबन्दी के पूर्व आराजी संख्या 1162 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा 3 धूर का पुराना नम्बर आराजी संख्या–2201 रकबा 15 धूर आराजी संख्या 2203 रकबा 12 बिस्वा आराजी संख्या 2204 रकबा 12 बिरवा 11 धूर आराजी संख्या 2205 रकबा 13 बिस्वा 15 धूर आराजी संख्या 2216 रकबा 3 बिस्वा था जिसे चकबन्दी के समय नया नम्बर 1162 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा 3 धूर का चक वादीगण के पिता स्व० हीरालाल के नाम एलाट किया गया। वादीगण द्वारा यह कथन किया गया है कि वादीगण के पिता स्व० हीरालाल के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को खडा करके उनका फ़र्जी हस्ताक्षर बनवा कर बिना प्रतिफ़ल के फ़र्जी बैनामा करा लिया गया है। प्रतिवादीगण ने वादी के पास मौजूद सम्पत्ति से अधिक का बैनामा कराया है।

13. प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कथनों का खण्डन करते हुए कथन किया गया है कि हीरालाल पुत्र सुखदेव प्रसाद ने विवादित भूमि पर बैनामा अपनी राजीखुशी से रामसुन्दर पुत्र राम औतार व श्रीमती चन्द्रकली पत्नी कन्धई लाल व प्रेमचन्द्र पुत्र रामखेलावन, रोशनलाल व रामसरेमन व रामचन्द्र पुत्रगण शारदा प्रसाद निवासीगण ओदारपुर के हक में एक माकूल व बाजारू कीमत प्राप्त करके दिनांक 11 मार्च 1976 को बैनामा किया है।

14. इस प्रकार उभय पक्ष के उपरोक्त अभिकथन एवं दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से सर्वप्रथम यह तय किया जाना आवश्यक है कि क्या बैनामा दिनांकित–11.03.1976 फ़र्जी व धोखे से निष्पादित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है?

15. इस संबन्ध में वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में 36ग से प्रमाणित प्रति बैनामा कागज संख्या 36ग/3 लगायत 36ग/5 एवं सूची 90ग से नकल खतौनी, नकल खसरा, नकल आकार पत्र 45 की मूल प्रति दाखिल किया गया है।

16. इस प्रकार उभय पक्ष के उपरोक्त अभिकथन एवं दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से सर्वप्रथम यह तय किया जाना है कि क्या बैनामा दिनांकित–11.03.1976 एक शून्यकरणीय व निष्प्रभावी दस्तावेज है? इस संबन्ध में वादीगण द्वारा दाखिल बैनामा दिनांकित–11.03.1976 की प्रमाणित प्रति कागज संख्या–36ग/2 लगायत 36ग/5 का परिशीलन

किया जिससे प्रकट होता है कि विक्रेता स्व०हीरालाल द्वारा दिनांक–11.03.1976 को रामसुन्दर, श्रीमती चन्द्र कली, प्रेमचन्द्र व राम सुमेरन व रामचन्द्र के पक्ष में कुल 9,000/– के प्रतिफ़ल के एवज में भूमि विक्रय किया है। चूंकि प्रस्तुत वाद एवं शून्यकरणीय विलेख के संबंध में दाखिल किया गया है अतः इस संबंध में इस न्यायालय को क्षेत्राधिकारिता प्राप्त है। वादीगण द्वारा कथन किया गया है कि उक्त विक्रय पत्र को प्रतिवादीगण द्वारा छल –कपट व फ़र्जी तरीके से लिखाया गया है व जिसे शून्य घोषित कराने का अधिकार वादीगण को प्राप्त है। इस संबंध में विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 31 उल्लेखनीय है –

When cancellation may be ordered. (1) Any person against whom a written instrument is void or voidable, and who has reasonable apprehension that such instrument, if left outstanding may cause him serious injury, may sue to have a adjudged void or voidable, and the court may, in its discretion, so adjudge it and order it to be delivered up and cancelled.

17. वादीगण द्वारा वादपत्र में यह कथन किया गया है कि प्रश्नगत बैनामा किसी दूसरे व्यक्ति को खडा करके किया गया है। किन्तु इस संबन्ध में वादी द्वारा कोई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि प्रश्नगत बैनामा किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा संपादित किया गया है। वादीगण की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू० –01 विश्वनाथ ने कथन किया है कि जो बैनामा रामसुन्दर के पक्ष में हुआ था वह नये आराजी नम्बर 1162 से हुआ था। मुझे नहीं मालूम कि किन किन लोगों के नाम जमीन का बैनामा था। उक्त साक्षी द्वारा जिरह मे यह कथन किया गया है कि वादीगण के पिता स्व० हीरालाल द्वारा बैनामा निष्पादित किया गया है।

18. वादीगण द्वारा कथन किया गया है कि प्रश्नगत बैनामा में विक्रेता द्वारा जो विक्रित भूमि दिखाई गई है वह विक्रेता के अंश से ज्यादा है। किन्तु इस संबन्ध में वादीगण द्वारा यह स्पषट नही किया गया कि उक्त शेष भूमि किसकी थी अथवा कौन उस भूमि का मालिक काबिज था। यह भी महत्वपूर्ण है कि कोई भी बैनामा इस आधार पर निरस्त नहीं होता है कि किसी ने अपने अंश से अधिक का बैनामा कर दिया हो। यह अलग बात है कि बैनामा उसी हिस्से तक प्रभावी होता है जिस हिस्से का विक्रेता मालिक हो। तदनुसार बैनामा दिनांकित– 11.03.1976 इस आधार पर भी निरस्त होने योग्य नहीं है।

19. वादीगण द्वारा यह भी कथन किया गया है कि प्रश्नगत बैनामा बिना प्रतिफ़ल व बयाना के निष्पादित किया गया है। इस संबन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध बैनामा दिनांकित – 11.03.1976 कागज संख्या–36 ग 2 के नीचे से सातवीं, आठवीं व नौवीं पंक्ति में यह स्पष्ट उल्लेख है कि बैनामा कुल 9,000/– रुपए के प्रतिफ़ल के एवज में निष्पादित किया गया है। इसका कोई विश्वसनीय खण्डन वादीगण द्वारा अपने किसी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के माध्यम से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

20. बैनामा दिनांकित 11.03.1976 के अवलोकन से स्पष्ट है की विक्रेता स्व० हीरालाल द्वारा प्रतिवादीगण से बैनामे की राशि पूर्व में प्राप्त कर लिया है। निष्पादित किया गया उक्त बैनामा एक पंजीकृत विलेख है। परिशीलन से भी यह स्पष्ट है कि उक्त बैनामा एक पंजीकृत दस्तावेज है, जिसके विधितः निष्पादित होने की अवधारणा की जाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधिक दृष्टांत **प्रेम सिंह एवं अन्य बनाम बीरबल एवं अन्य (2006) 5 SCC 343** में भी यह स्पष्ट किया गया है कि–

"28. There is a presumption that a registered document is validly executed. A registered document, therefore, prima facie would be valid in law. The onus of proof, thus, would be on a person who leads evidence to rebut the presumption."

21. उक्त विधि व्यवस्था के अनुसार, पंजीकृत दस्तावेज के संबंध में यह उपधारणा की जाती है कि वह वैध रूप से निष्पादित हुआ है। अतः एक पंजीकृत दस्तावेज विधि की दृष्टि में प्रथम दृष्टया वैध होगा। इस उपधारणा को खंडित करने का भार उस व्यक्ति पर है जो इसके विपरीत कथन करता है।

22. वादीगण द्वारा कथन किया गया है कि विक्रय विलेख पर किया गया हस्ताक्षर वादीगण के पिता का नहीं है। इस सम्बन्ध में वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसमें उनके पिताजी का हस्ताक्षर मौजूद हो और उनका इस हस्ताक्षर से मिलान किया गया हो। वादीगण द्वारा न ही किसी हस्ताक्षर विशेषज्ञ से हस्ताक्षर की जांच कराने की मांग की गई है।

23. वादीगण द्वारा यह अभिकथन किया गया हि कि प्रतिवादीगण द्वारा नामांतरण 24 वर्ष के बाद कराया गया है, जो कि उनके मौन स्वीकृति का प्रतीक है। इस संबन्ध में यह उल्लेखनीय है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में उक्त अभिकथन के बावत ऐसा कोई सारवान साक्ष्य / प्रलेख न्यायालय के समख प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रकट हो सके कि बैनामे कि तिथि से ही प्रतिवादीगण व उनके पूर्वजों को प्रश्नगत बैनामे के विषय में जानकारी रही है।

24. इसी अनुक्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि सत्यापित विक्रय विलेख के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि सबंधित सब रजिस्ट्रार के द्वारा विक्रय विलेख पर पृष्ठांकन किया गया है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने **Hari Nath vs. Virendra Nath Pandey and Ors. S.A. No. 383 of 1982. D/d. 17.7.2008** यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि–

"21 The Sub Registrar had also affixed a signature and there was no definite denial of the execution made in the pleadings, therefore, it was held that in these circumstances, the endorsement of the Sub Registrar should be deemed to be sufficient proof of the execution of the deed."

25. उक्त विधि व्यवस्था के सादर अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जहां पर सब रजिस्ट्रार द्वारा विक्रय विलेख में पृष्ठांकन व हस्ताक्षर किया है किया गया है तो उस विलेख को सम्यक

निष्पादन का प्रमाण माना जा सकता है जिस कारण वादी द्वारा किये गए कथन विश्वसनीय नहीं है। अतः वादीगण बैनामे की वैधता के संबंध में की गई उपधारणा को किसी ठोस साक्ष्य द्वारा खंडित नहीं कर सके हैं।

26. जैसा कि विदित है कि **भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 101** के अनुसार जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर हैं, जिन्हें वह प्राख्यात करता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है। निश्चय ही विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि वादी को वाद स्वयं सिद्ध करना होता है। जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **गुरमुख राम मदन बनाम भगवानदास मदन, AIR 1998 SC 2771** में अवधारित किया गया है कि–

"वादी को अपना वाद स्वयं साबित करना चाहिए। उसे प्रतिवादी की असफलता के कारण स्वमेव सफल नहीं माना जायेगा। वादपत्र के कथनों को साबित करने का भार वादी पर अधिक होता है। वादी को अपना वाद स्वयं के साक्ष्य और अभिकथनों के आधार पर साबित करना होता है न कि प्रतिवादीगण की त्रुटियों का लाभ लेकर।"

27. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **अनिल ऋषि बनाम गुरबख्श सिंह, (2006) 5 SCC 558, के पैरा 10, 11 व 14** में यह विधि व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि–

"अभिकथन साक्ष्य नहीं हैं। वादी को अपने साक्ष्य द्वारा सर्वप्रथम यह सिद्ध करना होगा कि प्रतिवादी वादी की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है जिसके उपरांत ही धारा 102, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अंतर्गत सबूत का भार प्रतिवादी पर होगा। मात्र अपने अभिकथनों के आधार पर वादी यह सिद्ध नहीं कर सकता कि उसके प्रतिवादी के मध्य एक प्रत्यायी रिश्ता है।"

28. उपरोक्त समस्त तथ्यों के विश्लेषण व विवेचन के उपरांत न्यायालय का मत है कि पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांकित–11.03.1976 को मंसूख करने के सम्बन्ध में वादपत्र की धारा 22 में वादीगण ने जो आधार वर्णित किये हैं उसे साबित करने में असफल रहे हैं। अतः वादीगण वाद बिन्दु संख्या–1 को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे हैं।

29. अतः वाद बिन्दु संख्या–1 वादीगण के विरूद्व निर्णीत किया जाता है।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 01–</u>

30. वाद बिन्दु संख्या–01 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या वादीगण आराजी संख्या 1162 के रकबा 0.481 हे0 के पूर्वजों के समय से मालिक व काबिज दखील चले आ रहे है?**

31. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा यह अभिकथन किया गया है कि आराजी संख्या–1162 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा 3 धूर वादीगण के पिता के नाम पर दर्ज थी। पत्रावली पर उपलब्ध आकार पत्र 45 के अवलोकन से विदित है कि उक्त सम्पत्ति आराजी संख्या–1162 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा 3 धूर में स्व०हीरालाल का नाम

दर्ज था। परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध बैनामा दिनांकित–11.03.1976 के सत्य प्रतिलिपि के सम्यक परिशीलन से विदित है कि वादीगण के पिता स्व० हीरालाल पुत्र सुखदेव प्रसाद द्वारा रामसुन्दर, श्रीमती चन्द्र कली,प्रेमचन्द्र व राम सुमेरन व रामचन्द्र के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है।

32. जैसा कि उपरोक्त विश्लेशण से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद में मूल रूप से वादीगण द्वारा प्रश्नगत बैनामा को निरस्त कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस संबन्ध में वाद बिन्दु संख्या– 02 को वादीगण के विरुद्ध नकारात्मत रूप से निर्णीत किया जा चुका है।

33. वादीगण द्वारा अपने कथनक के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची 90ग से उद्धरण खतौनी दाखिल किया है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य की अनुप्रयोज्यता एवं महत्व के बारे में माननीय उच्च न्यायालय ने अपने विनिश्चय **Suraj Bhan Vs. Financial Commissioner, (2007) 6 SCC 186** के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि–

"an entry in revenue records does not confer title on a person whose name appears in record–of–rights. Entries in the revenue records or jamabandi have only "fiscal purpose". So far as the title of the property is concerned, it can only be decided by a competent civil court."

34.माननीय न्यायालय की उक्त वर्णित प्रतिपादना से यह स्पष्ट है कि राजस्व अभिलेखों में अंकित नाम स्वामित्व प्रदर्शित नहीं करता है।

अतः वादीगण इस बात को साबित करने में पूर्णतयः विफ़ल रहे हैं कि वे बैनामे के आधार पर विवादित सम्पत्ति के मालिक काबिज व दखील हैं।

35. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद बिन्दु संख्या–02 नकारात्मक रूप से वादीगण के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 03 –</u>

36. वाद बिन्दु संख्या–03 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम अदा किया गया तथा अदा किया गया न्यायशुल्क अपर्याप्त है?**

37. उक्त वाद बिन्दु का निस्तारण मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 27.09.2010 को किया जा चुका है। उक्त आदेश इस निर्णय का भाग रहेगा।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 04–</u>

38. वाद बिन्दु संख्या–04 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या दावा वादी काल बाधित है?**

39. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा लिखित कथन कागज संख्या–38क के प्रस्तर 40 में यह कथन किया है कि यह दाव वादीगण काल बाधित है।

40. यहां अनुच्छेद 59 मियाद अधिनियम,1963 का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा जो बैनामा (instrument) को निरस्त करने की मियाद के संबन्ध में है। प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा सन 2002 में योजित किया गया है। वादीगण द्वारा वाद पत्र के प्रस्तर–13 में यह कथन किया गया है कि दिनांक–02.08.2000 को वादीगण को कथित बैनामे की जानकारी हुई है जो कि अनुच्छेद 59 मियाद अधिनियम,1963 के अनुसार अंदर मियाद है।

41. अतः उपरोक्त आधार वादीगण का वाद काल बाधित होना नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण उक्त वाद बिन्दु को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे हैं।

42. अतः वाद बिन्दु संख्या–04 नकारात्मतः निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 05:–

43. वाद बिन्दु संख्या 05 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या दावा वादीगण धारा–34 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है?**

44. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण मे अपने लिखित कथन कागज संख्या– 38 क की धारा–41 में यह कथन किया है कि दावा वादीगण धारा–34 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है।

45. उक्त वाद बिन्दु पर प्रतिवादीगण द्वारा कोई बल नही दिया गया है। अतः उक्त वाद बिन्दु पर प्रतिवादीगण द्वारा बल न दिये जाने के कारण उक्त वाद बिन्दु प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 06:–

46. वाद बिन्दु संख्या 06 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या दावा वादी धारा–35 क सी.पी.सी. के मय विशिष्ठ हर्जे खारिज किये जाने योग्य है?**

47. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है।

48. यहां धारा 35 ए सी.पी.सी. का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा–

Section 35A C.P.C. :-

Compensatory costs in respect of false or vexatious claims or defenses.

(1) If any suit or other proceedings 2[including an execution proceedings but 3[excluding an appeal or a revision]] any party objects to the claim of defence on the ground that the claim or defence or any part of it is, as against the objector, false or vexatious to the knowledge of the party by whom it has been put forward, and if thereafter, as against the objector, such claim or defence is disallowed, abandoned or withdrawn in whole or in part, the Court,

4[if it so thinks fit] may, after recording its reasons for holding such claim or defence to be false or vexatious, make an Order for the payment the object or by the party by whom such claim or defence has been put forward, of cost by way of compensation. (2) No Court shall make any such Order for the payment of an amount exceeding 5[three thousand rupees] or exceeding the limits of it pecuniary jurisdiction, whichever amount is less: Provided that where the pecuniary limits of the jurisdiction of any Court exercising the jurisdiction of a Court of Small Causes under the Provincial Small Cause Courts Act, 1887 (9 of 1887) 6[or under a corresponding law in force in 7[any part of India to which the said Act does not extend]] and not being a Court constituted 8[under such Act or law], are less than two hundred and fifty rupees, the High Court may empower such Court to award as costs under this section any amount not exceeding two hundred and fifty rupees and not exceeding those limits by more than one hundred rupees: Provided, further, that the High Court may limit the amount or class of Courts is empowered to award as costs under this Section. (3) No person against whom an Order has been made under this section shall, by reason thereof, be exempted from any criminal liability in respect of any claim or defence made by him. (4) The amount of any compensation awarded under this section in respect of a false or vexatious claim or defence shall be taken into account in any subsequent suit for damages or compensation in respect of such claim or defence.

49. प्रस्तुत प्रकरण में इस अनुतोष को देने का कोई आधार नही है क्योंकी प्रतिवादीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान इस वाद बिन्दु पर कोई बल नहीं दिया है।

50. उक्त धारा के अभिपठन से यह निष्कर्षित है कि यह न्यायालय का विवेकाधिकार है कि वह उक्त धारा के अंतर्गत पक्षकारों को कोई अनुतोष प्रदान करे अथवा नहीं। प्रस्तुत प्रकरण न्यायालय के मत में ऐसा नहीं है जिसमें प्रतिवादीगण को हर्जा दिलाया जाए।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 07:–</u>

51. वाद बिन्दु संख्या 07 इस आशय का विरचित किया गया है कि **अनुतोष ?**

52. वादीगण ने यह अनुतोष चाहा है कि बजरिये डिक्री प्रतिवादीगण के पक्ष में दिनांक 11.03.1976 को उपनिबन्धक कार्यालय चायल जनपद कौशाम्बी के एक जिल्द 1715 के पृष्ठ सं0-202 ता 205 पर क्रमांक सं0-659 पर अवैध ढंग से निष्पादित किये गये प्रश्नगत बैनामा को किया जाए तथा इसकी सूचना उपनिबन्धक चायल को इस निर्देश के साथ भेजी जाए कि वे सम्बन्धित अभिलेखों में निर्णय व डिक्री की प्रविष्टि अंकित कर लेवे।

53. जबकि प्रतिवादीगण ने अपने जबावदावा प्रस्तुत कर वादी के वाद को निरस्त करने की याचना की है। वादीगण द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांकित 11.03.1976 को मंसूख करने के सम्बन्ध में वादपत्र के प्रस्तर-22 में जो आधार वर्णित किया है उसको साबित करने में असफल रहे हैं। अतः वादीगण याचित अनुतोष के सम्बन्ध में अपना दावा साबित करने में असफल रहे हैं। अतः वादीगण याचित अनुतोष को पाने का अधिकारी नहीं हैं। अतः वादीगण का वाद आज्ञप्त किये जाने योग्य नहीं है।

-:आदेश:-

54. प्रस्तुत मूल वाद संख्या–854/2002 निरस्त किया जाता है। पक्षकार वादव्यय स्वयं वहन करेंगे।

दिनांक– 31.10.2022

(शिवेन्द्र शर्मा)
सिविल जज(क०श्रे०)/
त्वरित न्यायालय–II,
कौशाम्बी
J.O. Code– UP3792

55. आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक– 31.10.2022

(शिवेन्द्र शर्मा)
सिविल जज(क०श्रे०)/
त्वरित न्यायालय–II,
कौशाम्बी
J.O. Code– UP3792

Digitally signed by Shivendra Sharma
Date: 2022.11.07 15:55:39 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court